72/2018 जिला कलैक्टर AS श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 72/2018 (RCMS 2018/00140) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री मोहन लाल मेघवाल 2 श्री देवीचंद पुत्र श्री मोहन लाल, वार्ड नं 19, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर 3. श्री बिल्लुराज पुत्र श्री लालचंद, वार्ड नं 16, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनेष कुमार बिश्नोई उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1. श्रीमती मीरा देवी 2 श्री देवीचंद को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 5,00,000/–रूपये (अखरे रूपये पांच लाख़ मात्र) दिनांक 10.12.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों मीरा देवी एवं देवीचंद द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड नं 19, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.12.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 02.08.2018 को 5,84,890–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 07.02.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

72/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी श्रीमती मीरा देवी एवं श्री देवीचंद द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज मे प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति वार्ड नं 19 सादुलशहर (क्षेत्रफल 30'गुणा 60') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाये।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्रीमती मीरा देवी, श्री देवीचंद एवं श्री बिल्लुराम को दिनांक 07.02.2018 को ऋण सुविधा के रूप में 5,00,000/–(अखरे रूपये पांच लाख) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्रीमती मीरा देवी एवं श्री देवीचंद द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड नं 19, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगरए जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी है और इनके अतिरिक्त श्री बिल्लूराम पुत्र लालचन्द द्वारा गारंटी दी गई है **किन्तु बैंक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 में गांरटर के विरूद्ध कोई राहत नही चाही है।** प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 29.12.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया और बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2018 को बकाया राशि 5,84,890/– रूपये वसूली करने के लिए 60 दिवस का रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर

72 जिला कलैक्टर A9
2018 श्रीगंगानगर 7

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति स्थित वार्ड नं 19, सादुलशहर, जिला श्रीगंगागनर जो ऋणी श्रीमती मीरा देवी एवं श्री देवीचंद के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है। उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। **इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के नोटिस जो ऋणी श्रीमती मीरा देवी एवं श्री देवीचंद और गांरटर बिल्लुराम को जारी किये गये है। नोटिस जारी होने की तामील का प्रश्न है नोटिस जारी करने सम्बन्धी पोस्ट ऑफिस की रसीदे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं गई है एवं जो रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद प्रस्तुत की गई है वह ऋणी श्रीमती मीरा देवी एवं श्री देवीचंद दोनों के संयुक्त नाम से एक ही साथ एक ही लिफाफे में भेजने की रसीद प्रस्तुत की गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि दोनो ऋणियों पर तामील हो चुकी है। **जबकि प्रत्येक ऋण व गारंटर को अलग—अलग नोटिस उनके नाम से भेजे जाने चाहिए। गारंटर श्री बिल्लुराम की भी**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने सम्बन्धी कोई ए.डी. रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बने नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत **धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणी स्वयं पर या उसकी ओर से अधिकृत अभिकर्ता पर होनी आवश्यक है।** इसप्रकार उक्त ऋणियो/गारंटर पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबतक उक्त ऋणियों एवं गारंटर पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह **अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत् नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत् व उचित प्रक्रिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर